



JALAUN POLICE

"Operation Conviction"

दिनांक 21.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए जेल में विताई गई अवधि (02 वर्ष 08 माह) एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1- आशीष द्विवेदी पुत्र सुरेन्द्र द्विवेदी निवासी मो० इन्द्रानगर कोतवाली उर्ई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उर्ई पर मु०अ०स० 877/23 धारा 399/401 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त आशीष उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में विताई गई अवधि (02 वर्ष 08 माह) एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री महेन्द्र विक्रम सिंह
ADGC



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० प्रेम किशोर
कोर्ट मुहरि



का० सोहन
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

